

20.09.2022:—आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के प्रार्थना-पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी हिम्मत सिंह जरिये अधिवक्ता उपस्थित हो कर निवेदन किया कि प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को आगे नही चलाना चाहते। प्रार्थना-पत्र विद्वा करना चाहता। प्रार्थी हिम्मत सिंह के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा की गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

★

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

